

न्यायालय उपायुक्त, खूंटी

५५

नमूने - 14 फार्म सं 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129

द्वारा डा. खा. री. जग. वाद सं 07R15 वर्ष 2014 धारा
ACTR No 28R15/2015

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक


प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

फगुवा सिंह

वनाग

महेस्वर राम एवं मुतरा राम

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
09-09-14	<p style="text-align: center;">आवेदक फगुवा सिंह के स्व. लज्जा सिंह उर्फ मजा सिंह साखिन - विवेकर यात्रा - खूंटी जिला - खूंटी में भूमि सुधार अधिसूचना संख्या 11/06-07 के दिनांक 20-07-12 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर में विलम्ब के लिए समझौते आवेदन दायर किया है। दायरिया बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 16-09-14 को रखा।</p>	
16-09-14	<p style="text-align: center;">आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी है। उपायुक्त द्वारा कार्य में स्थगति दी। दिनांक 23-09-14 को रखा।</p>	
23-09-14	<p style="text-align: center;">आवेदक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दी गयी है। दिनांक 17-10-14 को रखा।</p>	

आदेश क्रमांक दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी तारीख/दिनांक Action taken on order with date
28-02-20	<p>आवेदक अनुपस्थित है। विपरीत से जल उपस्थिति की जारी है। निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रस्त है (दिनांक 18.03.20 को ली।)</p> <p style="text-align: right;">अपर समीक्षक</p>	3
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक -332/रा० दिनांक - 24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रित है The Bihar Tenants Holding (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र Collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है।</p> <p>अतः उक्त निम्न। धारा के तालिका में अग्रतर कारवाई/सुनवाई हेतु अभिलेख उपायुक्त सूची के आभाव में हस्तांतरित करे।</p> <p style="text-align: right;">  1.7.2020 अपर समीक्षक सूची।</p>	

आदेश क्रमांक /दिनांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई का दिनांक Action taken on order with date
1	2	3
	<p>आगिलेख उपस्थान आगिलेख अपर समाप्ती पूरी के आगिलेख के स्वतंत्रित होकर बाग्र है। आगिलेख पर अग्रेतर करवाई हेतु नव वंजोम दर्ज करते हुए पत्रकारों को सूचना निर्गत करें। आगिलेख क्रमांक को रखें।</p>	